न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18/2017/प्रा.पत्र/2017	01.03.2017	22.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र मीठालाल जैन जाति महाजन निवासी मालियो की गली शिव मन्दिर के पास टोंक प्रबंधक मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27–28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0
2–श्रीमति कोकल पत्नि मीठालाल जैन निवासी मालियो की गली शिव मन्दिर के पास टोंक प्रोपरायटर मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27–28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0
3– मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27–28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 22.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.06.2016 को समय 5.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27–28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र मीठालाल जैन जाति महाजन निवासी मालियो की गली शिव मन्दिर के पास टोंक प्रबंधक मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27–28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रबंधक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक मे लगभग 25–25 टन के क्षमता वाले दो टेंको मे लगभग 20–20 टन **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक मे रखे **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** लगभग 25–25 टन के क्षमता वाले दो टेंको मे लगभग 20–20 टन मे से वेईंग मशीन से तुलवाकर 1 किलो 600 ग्राम का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र कुमार जैन को रू0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

920

Scanned by CamScanner

140/—अक्षरे एक सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** 1 किलो 600 ग्राम के 4 भाग तैयार कर चार साफ एंव सुखी कांच की शिशियो मे, बराबर—बराबर (प्रत्येक शिशी मे 400 ग्राम) अलग—अलग ज्यो का त्यो डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—1396 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1396 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. राजेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3095 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/403/एक्ट/2016/450 दिनांक 13.07.2016 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2016 अनुसार राजेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zx)के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठिम धारा 49) अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र मीठालाल जैन जाति महाजन निवासी मालियो की गली शिव मन्दिर के पास टोंक प्रबंधक मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27—28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सो रू0) अप्रार्थी श्रीमति कोकल पत्नि मीठालाल जैन निवासी मालियो की गली शिव मन्दिर के पास टोंक प्रोपरायटर मैसर्स आर.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज जी 27—28 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सो रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner